न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी :- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 13/2020

उनवानी प्रकरण : प्रतापसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई कविलाल तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर। ------- प्रार्थी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा
2- रामभरोसी पुत्र श्री लोटाराम जाति कोली निवासी ग्राम फराद तहसील राजाखेड़ा

------- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आधीन 131 एव 136 एल. आर. एक्ट 1956

उपस्थिति : 1- श्री किशन सिंह त्यागी वकील प्रार्थी
2- पैरोकार सरकार तहसीलदार राजाखेड़ा

निर्णय दिनांक :- 11-1-2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अन्तर्गत धारा 131 एव 136 एल. आर. एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किये है कि विवादित आराजी ख. नं. 4178/6675 रकबा 1.7073 हैक्टेयर स्थित ग्राम बसई कविलाल तहसील राजाखेड़ा का प्रार्थी खातेदार काश्तकार एव आधिपत्यधारी है। भूमि का काबिज होकर उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 एव 3 सबके आधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व गिरदावर ने विवादित आराजी का रकबा कम करते हुए प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना मौके पर कब्जा परीक्षण किये बिना, अप्रार्थी सं. 2 को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से विवादित आराजी का पार्श्वी हिस्सा काटते हुए विवादित आराजी का हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 की आराजी ख. नं. 4181/6680 में छोड़ते हुए बिना जानकारी प्रार्थी की पीठ पीछे राजस्व नक्शा में गैर कानूनी तरीके से तरमीम कर

उपखण्डाधिकारी

क्रमशः-2

दी है जो गलत है। उसे निरस्त कर पुनः कायदे के मुताबिक तरमीम नक्शा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। विवादित आराजी के पश्चिम में अप्रार्थी सं 2 की आराजी ख०नं० 4181/6680 रकबा 1.7199 हैक्टेयर में पटवारी एवं ILR ने अप्रार्थी सं 2 की आराजी का रकबा बढ़ाते हुए विवादित आराजी में से रकबा कम कर अप्रार्थी सं 2 की आराजी का नक्शा पूर्व दिशा की ओर बढ़ा दिया है। उसे शुद्ध किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। पटवारी हल्का तथा गिरदावर से नक्शा तरमीम मौके के अनुसार करने के लिए कई बार कहने पर भी उन्होंने शुद्धि करने से इन्कार कर दिया। तब प्रार्थी ने गलत नक्शा तरमीम को निरस्त कर पुनः मौके पर कब्जे काश्त एवं पुराने नक्शे के मुताबिक तरमीम शुद्ध करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नं. 1 दिनांक 17-12-2020 को न्यायालय में उपस्थित आये। उनकी ओर से दिनांक 7/1/2021 को जवाब प्रा०पत्र पेश किया। जवाब के साथ उन्होंने मौका पर्चा पटवारी गिरदावर एवं नक्शे की घास त्रुटि शुद्धि के प्रस्ताव का अंकन के साथ प्रस्तुत की। अपने जवाब प्रा०पत्र में उनके द्वारा मुख्य बिन्दुओं के बाबत स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि मौके की जाँच करने पर पटवारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में बताया है कि वन टू वन मैपिंग के समय ख०नं० 4181/6680 व 4178/6675 के मध्य बनी खाली आकृति को ख०नं० 4178/6675 में शामिल किया जाना उचित है। अतः ख०नं० 4178/6675 व खाली आकृति के बीच की लाइन को हटाया जाना व ख०नं० 4181/6680 व खाली आकृति के मध्य बनी लाइन को सही किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। अपनी बहस में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार पर मनन किया

उपखण्डाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः—3

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा आ० ख० न० 4178/6675 रकबा 1.7073 हैक्टेयर की नक्शे में तरमीम नक्शे में रकबा कम दर्शाना बताया तथा इस नम्बर का रकबा 4181/6680 में छोड़ते हुए दर्शाना बताया है। जवाब प्रार्थना पत्र में पैरोकार सरकार द्वारा ख० न० 4181/6680 व 4178/6675 के मध्य बनी खाली आकृति को खसरा 4181/6680 में शामिल किये जाने को गलत बताया है। तथा ख० नं० 4178/6675 व खाली आकृति के बीच की लाइन का हटाया जाना व ख० न० 4181/6680 व खाली आकृति के मध्य बनी लाइन को सही किया जाना उचित बताया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मौका पर्चा में MIC वन टू वन मैपिंग के दौरान ख० न० 4181/6680 की मेड़ पर बनी खाली आकृति को ख० न० 4181/6680 में मिला दिया गया है जबकि खाली आकृति को ख० न० 4178/6675 में मिलाया जाना उचित बताया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर हम तहसीलदार राजाखेड़ा के प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट तहसीलदार राजाखेड़ा के प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश है कि विवादित आराजी ख० न० 4181/6680 व 4178/6675 के मध्य बनी खाली आकृति को खसरा नम्बर 4181/6680 के स्थान पर ख० न० 4178/6675 में शुद्ध कर मिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजाखेड़ा को प्रस्तावित नक्शा एवं मौका पर्चा की प्रति मय निर्णय की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11-1-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(बृजेश कुमार मंगल)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]